

कार्यालय:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या - 13

रांची-2, दिनांक- 21/4/16

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.04.2016 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त वनों का संवर्धन, जल एवं भू संरक्षण योजना पथरीली (अति कड़ी मिट्टी) के साथ वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्यदर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का अनुमोदन प्राप्त है। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

योजना का नाम : वनों का संवर्धन, जल एवं भू संरक्षण योजना पथरीली (अति कड़ी मिट्टी)

कार्य दर प्रति हे० :

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) :

221.61

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	664.83	0.00	664.83	
2	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हे०	10	2216.10	0.00	2216.10	
3	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य - कंदूर ट्रेंच - 120, कंदूर साईज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मीटर से 3 मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना।		120	26593.20	500.00	27093.20	बीज का क्रय/संग्रहण कर कंदूर ट्रेंच के बर्म पर बोया/छिड़का व किया जाएगा।
4	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि		25	5540.25	0.00	5540.25	
5	गली प्लगिंग	हे०	10	2216.10	0.00	2216.10	

6	वन की सुरक्षा (प्रति 50 हे० तक के लिए एक मानव दिवस)	स्थल	275	60942.75	0.00	60942.75	50 हे० से 100 हे० तक में दो मानव दिवस अनुशंसित है।
	कुल योग-		443	98173.23	500.00	98673.23	

नोट:-

1. यह कार्य अधिसूचित वन भूमि पर किया जायेगा।
2. कन्दूर ट्रेन्च पर सूबवूल, अकेसिया, चकुण्डी, घास इत्यादि के बीज बोये/छिड़काव किए जायेंगे।
3. यदि प्राकृतिक प्रजातियों के पौधे उपलब्ध नहीं हैं तो वन संवर्धन का कार्य नहीं किया जायेगा।
4. कन्दूर ट्रेन्च में मिट्टी नीचे ढलान की तरफ रखी जाये।


ह०/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक-579 दिनांक-21/4/16

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, रांची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28/4/16
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

कार्यालय:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या - 14

रांची-2, दिनांक-21/4/16

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.04.2016 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त वनों का संवर्धन, जल एवं भू संरक्षण योजना पथरीली (कड़ी मिट्टी) के साथ वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्यदर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का अनुमोदन प्राप्त है। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

योजना का नाम : वनों का संवर्धन, जल एवं भू संरक्षण योजना पथरीली (कड़ी मिट्टी)

कार्य दर प्रति हे0 :

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0 में) : 221.61

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3	664.83	0.00	664.83	
2	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हे0	10	2216.10	0.00	2216.10	
3	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य - कंटूर ट्रेंच - 120, कंटूर साईज 5 मी. X 0.45 मी. X 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मीटर से 3 मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना।		97	21496.17	500.00	21996.17	बीज का क्रय/संग्रहण कर कंटूर ट्रेंच के बर्म पर बोया/छिड़काव किया जाएगा।
4	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि		25	5540.25	0.00	5540.25	
5	गली प्लगिंग	हे0	10	2216.10	0.00	2216.10	

की सुरक्षा (प्रति 50 हे० तक के लिए एक मानव दिवस)	स्थल	275	60942.75	0.00	60942.75	50 हे० से 100 हे० तक में दो मानव दिवस अनुशंसित है।
कुल योग-		420	93076.20	500.00	93576.20	

नोट:-

1. यह कार्य अधिसूचित वन भूमि पर किया जायेगा।
2. कन्दूर ट्रेन्च पर सूबवूल, अकेसिया, चकुण्डी, घास इत्यादि के बीज बोये/छिड़काव किए जायेंगे।
3. यदि प्राकृतिक प्रजातियों के पौधे उपलब्ध नहीं हैं तो वन संवर्धन का कार्य नहीं किया जायेगा।
4. कन्दूर ट्रेन्च में मिट्टी नीचे ढलान की तरफ रखी जाये।

ह०/-


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक- 580 दिनांक-21/4/16

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, रांची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28/4/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

कार्यालय:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या - 15

रांची-2, दिनांक- 21/4/16

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.04.2016 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर लोहा गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण) के साथ वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्यदर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का अनुमोदन प्राप्त है। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम- पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर लोहा -गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण)

1. लोहा गैबियन का आकार: 5'x2'x2'

2. पंक्ति से पंक्ति की दूरी -- 3 मी0

3. मजदूरी दर- रु0 221.61

स्पेसिंग- पौधे से पौधे की दूरी - 5 मी0

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7
(A)	वित्तीय वर्ष 2016-17 में अग्रिम-सह-समापन कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 221.61					
1	घेरान कार्य					
1A	लोहे का गोलाकार गैबियन (दो भागों में खुलने वाला) साइज (6' x 9" लम्बाई व्यास 2' तीन सेन्ट्रल पिलर एवं तीन सर्पोट पिलर तथा 3 गोलाकार पत्ती (पत्ती साइज 20mmx5mm)	प्रति गैबियन	0.20	44.32	1700.00	1744.32
1B	M.S. वायर मैस 5'0"x6'x0" =30 वर्ग फिट (12 गेज साइज 1"X2")					
1C	M.S. सीट for बॉर्ड 6"x18"x18 गेज					
1D	नट-बोल्ट आदि 6 नं0					
1E	प्राइमर एवं पेंट (पीला)					
2	गैबियन का खूँटा गाड़ने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा गाड़ने हेतु 9"x6"x6" आकार के 3 गड़ो को खोदना तथा पी.सी.सी. का ढलाई (1:3:6)	प्रति गैबियन	0.15	33.24	20.25	53.49
3	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 1.5'x1.5'x1.5' आकार का गड़डा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.10	22.16	0.00	22.16

4	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित (पौधों का साईज 6 फीट से 8 फीट)	प्रति गैबियन	0.00	0.00	75.00	75.00
5	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं गोबर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	33.24	20.00	53.24
6	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	22.16	2.00	24.16
7	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्त्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	33.24	4.50	37.74
8	पटवन (रिक्शा/ ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	1.00	221.61	25.00	246.61
9	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	110.81	0.00	110.81
10	साईन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00
	योग		2.35	520.78	1866.75	2387.53

(B) वित्तीय वर्ष 2017-18 में संपोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 254.85 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2016-17 को आधार मानते हुए

1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्त्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	38.23	4.50	42.73
2	पटवन (रिक्शा/ ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	127.43	5.00	132.43
3	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	127.43	0.00	127.43
	योग		1.15	293.08	9.50	302.58

(C) वित्तीय वर्ष 2018-19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 293.08 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार मानते हुए

1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्त्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	43.96	4.50	48.46
2	पटवन (रिक्शा/ ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	146.54	5.00	151.54
3	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	146.54	0.00	146.54
	योग		1.15	337.04	9.50	346.54
	कुल योग		4.65	1150.90	1885.75	3036.65

- नोट (1) शहरों में सड़कों के किनारे एक सड़क पर सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय।
(2) लौह गैबियन पर संख्या अंकित की जाएगी।
(3) लौह गैबियन में प्रकाष्ठ प्रजाति, फलदार एवं शोभाकार पौधों का रोपण किया जाएगा।



ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची


ज्ञापांक-581

दिनांक-21/4/16

प्रतिलिपि :- 5

1. प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, रांची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यष्क कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर प्रमण्डल मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

कार्यालय:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या - 16

रांची-2, दिनांक- 21/4/16

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.04.2016 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त 2500 पौधे का वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्यदर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली 2500 पौधे का वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे
मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) : 221.61
पौधों की दूरी : 2 मी० x 2 मी०

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	
क	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	664.83	0.00	664.83	
2	झाड़ी सफाई						
2.1	झाड़ी रहित	हे०	0	0.00	0.00	0.00	
2.2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	1551.27		1551.27	
2.3	घनी झाड़ी	हे०	10	2216.10		2216.10	
3	घेरान कार्य						
3.1	ट्रैंच घेरान - ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी., नीचे की चौड़ाई 1.22 मी., गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	घेन	25	5540.25		5540.25	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रैंच खोदी गयी है तो ट्रैंच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित

							होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हों।
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई इन्टिंग सहित (जल संसाधन डेनाग की अनुसूचित दर नूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	चेन	2	443.22	1963.79	2407.01	स्थल विशेष पर मशीन द्वारा ट्रेंच की खुदायी वन संरक्षक से अनुमति प्राप्त कर की जा सकेगी। सामग्री की राशि मशीन कार्य हेतु है।
3.3	पत्थर घेरान- ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी० उँचाई 1.00 मी०	चेन	25	5540.25		5540.25	
3.4	झाड़ी घेरान	चेन	6	1329.66	25.00	1354.66	
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 2500 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	55	12188.55	0.00	12188.55	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कंदूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हे०	10	2216.10		2216.10	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	25	5540.25		5540.25	
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०		0.00	3375.00	3375.00	
8	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०		0.00	150.00	150.00	
ख	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	32.5	7202.33	0.00	7202.33	
2	वृक्षारोपण	हे०	55	12188.55		12188.55	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	62.5	13850.63	0.00	13850.63	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	हे०	2	443.22	0.00	443.22	प्रति हे० औसत 5 चेन ट्रेंच का

						घेरान
	पौधों की सुरक्षा					
5.1	30 हे० तक	स्थल	275.00	60942.75		60942.75
5.2	30 हे० से 60 हे० तक	स्थल	550.00	121885.50		121885.50
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	3937.50	3937.50
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०	0.00	0.00	150.00	150.00
ग	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	35	7756.35	0.00	7756.35
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/उरिया, जैविक किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	1962.50	1962.50
3	पौधों की सुरक्षा					
4	30 हे० तक	स्थल	365.00	80887.65		80887.65
5	30 हे० से 60 हे० तक	स्थल	730.00	161775.30		161775.30
6	घेरान मरम्मत	चेन	1	221.61	0.00	221.61
7	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	5	1108.05	440.00	1548.05
घ	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)					
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	35	7756.35	0.00	7756.35
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0	0.00	1962.50	1962.50
3	पौधों की सुरक्षा					
3.1	30 हे० तक	स्थल	365.00	80887.65		80887.65
3.2	30 हे० से 60 हे० तक	स्थल	730.00	161775.30		161775.30
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	5	1108.05	176.00	1284.05
च	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)					
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	35	7756.35	0.00	7756.35
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0	0.00	750.00	750.00
3	पौधों की सुरक्षा (60 हे० तक)	स्थल	365.00	80887.65		80887.65
4	घेरान की मरम्मत	चेन	1	221.61		221.61
छ	सम्पोषण कार्य (छठा वर्ष)					
1	पौधों की सुरक्षा (60 हे० तक)	स्थल	365.00	80887.65		80887.65

सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)

पौधों की सुरक्षा (60 हे० तक)	स्थल	365.00	80887.65		80887.65
------------------------------	------	--------	----------	--	----------

- नोट** (1) सात वर्षीय योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।
 (2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा
 3. सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।
 4. जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।
 5. तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।
 6. पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।
 7. झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

ह०/-


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक- 582 दिनांक-21/4/16

प्रतिलिपि- :-

1. प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्यद, झारखण्ड, रांची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

कार्यालय:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या - 17

रांची-2, दिनांक-21/4/16

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.04.2016 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) : 221.61

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	
क	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	664.83	0.00	664.83	
2	झाड़ी सफाई						
2.1	झाड़ी रहित	हे०	0	0.00	0.00	0.00	
2.2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	1551.27		1551.27	
2.3	घनी झाड़ी	हे०	10	2216.10		2216.10	
2.4	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हे०	10	2216.10		2216.10	
3	घेरान कार्य						
3.1	ट्रैच घेरान - ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी., नीचे की चौड़ाई 1.22 मी., गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	चेन	25	5540.25		5540.25	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रैच खोदी गयी है तो ट्रैच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के

							समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हों।
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	चेन	2	443.22	1963.79	2407.01	स्थल विशेष पर मशीन द्वारा ट्रेंच की खुदायी वन संरक्षक से अनुमति प्राप्त कर की जा सकेगी। सामग्री की राशि मशीन कार्य हेतु है।
3.3	पत्थर घेरान- ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी० उँचाई 1.00 मी०	चेन	25	5540.25		5540.25	
3.4	झाड़ी घेरान	चेन	6	1329.66	25.00	1354.66	
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 1000 पीट प्रति हे० (संरखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	22	4875.42	0.00	4875.42	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कंदूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हे०	45	9972.45		9972.45	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	10	2216.10		2216.10	
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०		0.00	1350.00	1350.00	
8	विविध कार्य (छायांकन,साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०		0.00	150.00	150.00	
ख	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	13	2880.93	0.00	2880.93	
2	वृक्षारोपण	हे०	22	4875.42		4875.42	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	25	5540.25	0.00	5540.25	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे०	2	443.22	0.00	443.22	प्रति हे० औसत 5 चेन ट्रेंच का घेरान
5	पौधों की सुरक्षा						

	30 हे० तक	स्थल	275.00	60942.75		60942.75	
2	30 हे० से 60 हे० तक	स्थल	550.00	121885.50		121885.50	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	1575.00	1575.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०	0.00	0.00	150.00	150.00	
ग	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	14	3102.54	0.00	3102.54	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/उरिया, जैविक किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	785.00	785.00	
3	पौधों की सुरक्षा						
3 (क)	30 हे० तक	स्थल	365.00	80887.65		80887.65	
3 (ख)	30 हे० से 60 हे० तक	स्थल	730.00	161775.30		161775.30	
5	घेरान मरम्मत	चेन	1	221.61	0.00	221.61	
6	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	2	443.22	176.00	619.22	
घ	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	14	3102.54	0.00	3102.54	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0	0.00	785.00	785.00	
3	पौधों की सुरक्षा						
3.1	30 हे० तक	स्थल	365.00	80887.65		80887.65	
3.2	30 हे० से 60 हे० तक	स्थल	730.00	161775.30		161775.30	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	2	443.22	176.00	619.22	
च	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	14	3102.54	0.00	3102.54	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0	0.00	300.00	300.00	
3	पौधों की सुरक्षा (60 हे० तक)	स्थल	365.00	80887.65		80887.65	
4	घेरान की मरम्मत	चेन	1	221.61		221.61	
छ	सम्पोषण कार्य (छठा वर्ष)						

	पौधों की सुरक्षा (60 हे० तक)	स्थल	365.00	80887.65		80887.65	
ज	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)						
1	पौधों की सुरक्षा (60 हे० तक)	स्थल	365.00	80887.65		80887.65	

- नोट** (1) सात वर्षीय योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।
(2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा
(3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।
(4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।
(5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।
(6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।
(7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।


ह०/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक-583 दिनांक-21/4/16

प्रतिलिपि:- :-

1. प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्वद, झारखण्ड, रांची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21/4/16
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

कार्यालय:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या - 18

रांची-2, दिनांक-21/4/16

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.04.2016 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम- भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० x 2 मी०)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु०) :- 221.61

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	8
क.	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3.00	664.83	0.00	664.83	
2	झाड़ी सफाई			0.00	0.00	0.00	
2.1	झाड़ी रहित	हे०	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	सामान्य झाड़ी	हे०	7.00	1551.27	0.00	1551.27	
2.3	घनी झाड़ी	हे०	10.00	2216.10	0.00	2216.10	
3	घेरान कार्य -						
3.1	ट्रेंच घेरान - ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी., नीचे की चौड़ाई 1.22 मी., गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	प्रति चैन	25	5540.25	0.00	5540.25	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रेंच खोदी गयी है तो ट्रेंच मरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित

							होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हो।
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1. 43.1 से 9.1 प्रतिशत संवदक लाभ घटाकर दर)		2	443.22	1963.79	2407.01	स्थल विशेष पर मशीन द्वारा ट्रेंच की खुदायी वन संरक्षक से अनुमति प्राप्त कर की जा सकेगी। सामग्री की राशि मशीन कार्य हेतु है।
3.3	पत्थर घेरान -ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी., नीचे की चौड़ाई 1.25 मी., उँचाई 1. 00 मी.		25	5540.25	0.00	5540.25	
3.4	झाड़ी घेरान-	चेन	6.00	1329.66	25.00	1354.66	
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हे० (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	36.50	8088.77	0.00	8088.77	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे०	16.50	3656.57	0.00	3656.57	
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	2240.00	2240.00	
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य: कंदूर ट्रेंचिंग- 120, कंदूर ट्रेंच साईज 5 मी० X 0.30 X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2मी० से 3मी० हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0. 15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोड़नी कर रखा जाना	हे०	55.00	12188.55	0.00	12188.55	
8	सिल्ट डिटेन्शन डैम, चेक डैम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि	हे०	25.00	5540.25	0.00	5540.25	
9	गली प्लगिंग	हे०	10.00	2216.10	0.00	2216.10	

	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
ख.	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	उर्वरक का कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	4764.62	0.00	4764.62	
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	8088.77	0.00	8088.77	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	41.50	9196.82	0.00	9196.82	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	हे0	2.00	443.22	0.00	443.22	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल	275.00	60942.75	0.00	60942.75	
	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल	550.00	121885.50	0.00	121885.50	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
ग.	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे0	23.00	5097.03	0.00	5097.03	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल	365.00	80887.65	0.00	80887.65	
	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल	730.00	161775.30	0.00	161775.30	
4	गड़ड़ा घेरान की मरम्मत	चेन	1.00	221.61	0.00	221.61	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	3.00	664.83	290.00	954.83	
घ.	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे0	23.00	5097.03	0.00	5097.03	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1300.00	1300.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल	365.00	80887.65	0.00	80887.65	
	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	स्थल	730.00	161775.30	0.00	161775.30	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	3.00	664.83	290.00	954.83	
ड.	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0	23.00	5097.03	0.00	5097.03	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	500.00	500.00	
3	पौधों की सुरक्षा (60 हे0 तक)	स्थल	365.00	80887.65	0.00	80887.65	
4	घेरान की मरम्मत	चेन	1.00	221.61	0.00	221.61	
च.	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)						
1	पौधों की सुरक्षा (60 हे0 तक)	स्थल	365.00	80887.65	0.00	80887.65	

संयोजन कार्य (सप्तम वर्ष)

संयोजन कार्य (60 हे०
एक)

स्थल

365.00

80887.65

0.00

80887.65

- नोट (1) सात वर्षीय योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।
- (2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएँगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
- (3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।
- (4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।
- (5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।
- (6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।
- (7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

ह०/-


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

झापांक-584 दिनांक-21/4/16

प्रतिलिपि- :-

1. प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्वद, झारखण्ड, रांची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21/4/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

कार्यालय:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या - 19

रांची-2, दिनांक- 21/4/16

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.04.2016 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त सीसल वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली सीसल वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम- सीसल वृक्षारोपण हेतु कार्य दर

पौधों की संख्या प्रति हे०:- 6150 मजदूरी दर 221.61 रू० प्रति मानव दिवस

क्रम सं	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस प्रति हे०	सामग्री रू० में	मजदूरी रू० में	कुल व्यय रू० में	अभ्युक्ति
	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)						
1.	सर्वेक्षण एवं डिमार्केशन	हे०	3	0.00	664.83	664.83	
2	झाड़ी सफाई						
2.1	झाड़ी रहित	हे०	0	0.00	0.00	0.00	
2.2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	0.00	1551.27	1551.27	
2.3	घनी झाड़ी	हे०	10	0.00	2216.10	2216.10	
3.1	ट्रेंच घेरान - ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी., नीचे की चौड़ाई 1.22 मी., गहराई 1.25 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	चेन	25	0.00	5540.25	5540.25	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रेंच खोदी गयी है तो ट्रेंच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हो।

3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7. 1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	चेन	2	1963.79	443.22	2407.01	स्थल विशेष पर मशीन द्वारा ट्रेंच की खुदायी वन संरक्षक से अनुमति प्राप्त कर की जा सकेगी। सामग्री की राशि मशीन कार्य हेतु है।
3.3	पत्थर घेरान- ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी० उँचाई 1.00 मी०	चेन	25	0.00	5540.25	5540.25	
3.4	झाड़ी घेरान	चेन	6	25.00	1329.66	1354.66	
4	मृदा कार्य 0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.	हे०	132	0.00	29252.52	29252.52	
5	अंश पौधशाला कार्य- बुलाबिल पर आधारित पौधशाला स्थानीय रूप से उपलब्ध रहने पर 7380 पौधे कार्य अवधि एक वर्ष बुलबिल संग्रहण सहित	हे०	163	5748.00	36122.43	41870.43	
6	विविध कार्य छायांकन प्रचार प्रसार मुद्रण संवधित कार्य	हे०	0	150.00	0.00	150.00	
समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1.	पौधशाला कार्य (आंशिक) रात्रि प्रहरी सहित	हे०	57	0.00	12631.77	12631.77	
2.	वृक्षारोपण	हे०	145	0.00	32133.45	32133.45	
3.	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	145	0.00	32133.45	32133.45	
4	सुरक्षा कार्य	हे०	8	0.00	1772.88	1772.88	
5	सामग्री (बीज, उर्वरक खाद, रसायन आदि)	हे०	0	4133.00	0.00	4133.00	
6	ट्रेंच के बर्न पर घेरान हेतु बीज रोपण	हे०	2	0.00	443.22	443.22	
7	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)	हे०	0	150.00	0.00	150.00	
सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)							
1.	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	145	0.00	32133.45	32133.45	
2.	उर्वरक एवं रसायन	हे०	0	4133.00	0.00	4133.00	
3.	सुरक्षा कार्य	हे०	12	0.00	2659.32	2659.32	
4.	घेरान मरम्मत	हे०	5	0.00	1108.05	1108.05	
5.	मृत पौधों का बदलाव	हे०	15	1100.00	3324.15	4424.15	
सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)							
1.	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	145	0.00	32133.45	32133.45	
2.	उर्वरक एवं रासायनिक खाद आदि	हे०	0	4133.00	0.00	4133.00	
3.	सुरक्षा कार्य	हे०	12	0.00	2659.32	2659.32	

नोट

- (1) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा
- (2) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।
- (3) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।
- (4) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

ह0/-


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक- 585 दिनांक- 21/4/16

प्रतिलिपि- :-

1. प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, रांची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20/4/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

कार्यालय:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या - 20

रांची-2, दिनांक- 21/4/16.

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना सं०सं०-4/यो० बजट-42/2010-2371 व०प०, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.04.2016 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस -गैबियन वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस -गैबियन वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम- पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस -गैबियन वृक्षारोपण

1. बाँस-गैबियन का आकार: 6'-6"x2'-

6"x2'-6"

3 मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 221.61

रुपये

2. स्पेसिंग पंक्ति से पंक्ति की दूरी - 3 मी०

-

पौधे से पौधे की दूरी - 5 मी०

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	कुल मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)						
1	घेरान कार्य						
क	बाँस का खूँटा -4 अदद (खूँटे की लंबाई 6'-6") एवं जाफरी हेतु बाँस (कुल 3 बाँस @ 80.00 रु. प्रति ग्रामीण बाँस) दुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	240.00	240.00	
ख	जाफरी का निर्माण एवं खूँटों में जाफरी को लगाना	प्रति गैबियन	1.00	221.61	0.00	221.61	
ग	खूँटों की कोलतार/ब्लैक जापान/ब्लैक पेन्ट से रंगाई	प्रति गैबियन	0.20	44.32	6.00	50.32	
घ	जाफरी की हरे एवं लाल पेंट से रंगाई	प्रति गैबियन	0.30	66.48	90.00	156.48	गर्म पेंट में डूबाकर रंगाई की जायेगी। गैबियन को एक हरा-एक लाल alternate स्थापित किया जायेगा।
ड	गैबियन का खूँटा लगाने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा लगाने हेतु 1'x1'x1'-6" आकार के 4 गड़ों को खोदना तथा खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित	प्रति गैबियन	0.20	44.32	0.00	44.32	

	करना						
च	जाफरी सहित खूँटा लगाना-4 खूँटा -20 खूँटा प्रति मानव दिवस (दुलाई सहित)	प्रति गैबियन	0.20	44.32	15.00	59.32	
छ	जाफरी हेतु	प्रति गैबियन		0.00		0.00	
	(1) तार 100 ग्राम (67/- रु. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	6.70	6.70	
	(2) कांटी 300 ग्राम (69/- रु. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	20.70	20.70	
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.17	37.67	0.00	37.67	
	योग		2.07	458.73	378.40	837.13	
(B)	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर दुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
2	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं गोबर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	33.24	20.00	53.24	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	22.16	2.00	24.16	
4	तीन कोड़नी निकोनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	33.24	4.50	37.74	
5	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	110.81	25.00	135.81	
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	110.81	0.00	110.81	
7	साईन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
	योग		1.40	310.25	91.50	401.75	
(C)	संपोषण (तृतीय वर्ष)						
1	तीन कोड़नी निकोनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	33.24	4.50	37.74	
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	110.81	5.00	115.81	
3	बॉस गैबियन का भरम्भती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	110.81	60.00	170.81	
	योग		1.15	254.85	69.50	324.35	

(D)	संपोषण (चतुर्थ वर्ष)						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	33.24	4.50	37.74	
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	110.81	5.00	115.81	
3	बाँस गैबियन का मरम्मत एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	110.81	60.00	170.81	
	योग		1.15	254.85	69.50	324.35	
	कुल योग		5.77	1278.69	608.90	1887.59	

- नोट** (1) शहरों में सड़कों के किनारे एक सड़क पर सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय।
(2) बाँस गैबियन पर गैबियन संख्या अंकित की जाएगी।
(3) बाँस गैबियन में प्रकाष्ठ प्रजाति, फलदार एवं शोभाकार पौधों का रोपण किया जाएगा।
(4) प्रत्येक ग्राम के निकट पथ के दोनों तरफ कम से कम 50 फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा।
(5) पौधों का क्रय विभागीय पौधशालाओं से करने को प्राथमिकता दी जाय।


ह0/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक-586 दिनांक-21/4/16

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्यद, झारखण्ड, रांची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

कार्यालय:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या - 2/

रांची-2, दिनांक- 21/4/16

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.04.2016 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त विभागीय पौधशाला में उगाए गए छोटे पौधे/लंबे पौधे एवं वर्मी कम्पोस्ट की विक्रय दर का निर्धारण हेतु अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची द्वारा दर का अनुमोदन किया गया। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली विभागीय पौधशाला में उगाए गए छोट पौधे /लंबे पौधे एवं वर्मी कम्पोस्ट की विक्रय दर का निर्धारण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

विभागीय पौधशाला में उगाए गए छोटे पौधे/लंबे पौधे एवं वर्मी कम्पोस्ट की विक्रय दर का निर्धारण

विभिन्न विभागीय पौधशालाओं में दो तरह के पौधे उगाये जाते हैं। छोटे साईज के पौधे उगाने के लिए 4"x8", 8"x12" तथा लंबे साईज के पौधे उगाने के लिए 10"x16"& 14"x20" साईज की पॉलीथीन ट्यूब प्रयोग में लाई जाती है। पौधों का विक्रय दर पूर्व में 3.00 रु0 प्रति पौधा निर्धारित था। इसके अलावा शोध पौधशालाओं में ग्राफटेड फलदार पौधे तथा वर्मी कम्पोस्ट का भी उत्पादन किया जाता है। ग्राफटेड फलदार पौधों की विक्रय दर पूर्व में 6.00 रु0 प्रति पौधा निर्धारित थी।

लागत मूल्य के आधार पर उपरोक्त पौधों की बिक्री के लिए प्रस्तावित दर पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया और झारखण्ड राज्य के किसानों एवं अन्य ग्रामीणों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर एवं वनभूमि के बाहर वनाच्छादन को बढ़ाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा विभिन्न आकार के पौधों एवं वर्मी कम्पोस्ट की दर निम्नवत निर्धारित करने की अनुशंसा की जाती है।

1. छोटे पौधे/स्टम्प - 5.00 रु0 प्रति पौधा
2. लंबे पौधे/ग्राफटेड पौधा - 15.00 रु0 प्रति पौधा
3. वर्मी कम्पोस्ट - 7.00 रु0 प्रति किलो



ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक-587 दिनांक-21/4/16

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची